

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2019/1078

दिनांक:- 11/2/19

आदेश


आवासीय अभियन्ता खण्ड डुंगरपुर/उप आवासन आयुक्त वृत्त-उदयपुर के अधीन सागवाड़ा आवासीय योजना में अनिस्तारित आवासों का निस्तारण नीलामी के माध्यम से निस्तारित किये जाने के संबंध में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वितीय द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर निस्तारण किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

नीलामी से निस्तारण किये जाने वाले आवासों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	योजना	आय वर्ग	आवास संख्या	कुल
1	सागवाड़ा आवासीय योजना	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	1A-06, 1A-12, 1A-19, 1A-24, 1A-26, 1A-42, 1A-73, 1A-75, 1A-76, 1A-78, B-127, B-134, B-135, B-139, B-140, B-146, B-148, B-126, B-48, B-66, B-97, B-123, B-124, 1A-67, 1A-66, 1A-64, 1A-63, 1A-58, 1A-57, 1A-56, 1A-60, 1A-53, B-98, B-110, B-144, B-114, B-119, B-52, B-63, B-152, B-157, B-121, B-122, B-57, B-141, B-89, B-107	47
		अल्प आय वर्ग	B-184, B-212, B-200, B-197, B-189, B-174, B-219, A-98, A-79, A-104, A-105, A-107, A-108, A-109, A-110, A-115, A-116, A-102, A-99, A-97, A-103, A-75, A-77, A-78, A-96, A-93, A-84, A-74, B-230, B-228, B-226, B-245, B-233, B-240, B-225, B-227, B-223, A-117, B-244, B-241	40
		मध्यम आय वर्ग 'अ'	A-51, A-53, A-64, A-65	4
		मध्यम आय वर्ग 'ब'	A-119, A-126, A-132	3
		उच्च आय वर्ग	A-143, 4/150, A-139, A-145, A-140	5
			कुल	99


संबंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता उक्त आवासों का निस्तारण निम्न शर्तों पर किया जाना सुनिश्चित करें:

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लैट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याचिका को आवास/फ्लैट/आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं हैं। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन /शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।
उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त का पैरा संख्या 20/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मु0)/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता -द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त वृत्त-उदयपुर, रा0 आ0म0, उदयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-डुंगरपुर, रा0 आ0म0 डुंगरपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक